

**HPFD-F05/236/2025-FCA**

वन विभाग हिमाचल प्रदेश ।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं प्र० मुख्य  
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र० ।

प्रेषित: उप महा निरीक्षक, वन  
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरीय),  
सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, िवालि क खण्ड, लौंगबुड,  
िमला, हिमाचल प्रदेश ।-1710001

दिनांक िमला-1

विषय: **Diversion of 3.453 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of road dhadu (Dhatrog) to Bhlal Kms. 0/00 to 9/00 within the jurisdiction of Chopal Forest Division Distt. Shimla, H.P.**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या 8बी/एच.पी./06/93/2021/एफ०सी०/1189 दिनांक 08/09/2020 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्घातिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-

- 1<sup>प</sup> वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 2<sup>प</sup> परियोजना के लिए आव यक गैर-वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण के सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

**3<sup>प</sup> प्रतिपूरक वनीकरण:**

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी०ए० के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर प्रतिपूरक पौध-रोपण किया जाएगा। इसकी लागत रा ि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेद ि प्रजातियों को लगाया जाएगा। सी०ए० के लिए प्रस्तावित वन भूमि को अंतिम स्वीकृति से पूर्व वन विभाग के नाम किया जाएगा। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) सी०ए० क्षेत्र के सही खसरा नम्बर वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत अनुपालना रिपोर्ट में दी गई है।

(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र अनुपालना रिपोर्ट के साथ दिया हुआ है।

(घ) दण्डात्मक प्रतिपूरक पौधारोपण की रा ि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर लिया गया है।

- 4<sup>प</sup> प्रतिपूरक वनीकरण योजना हेतू आव यक धनरा ि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गई है।

**5<sup>प</sup> भुद्ध वर्तमान मूल्य:**

क) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दि ा निर्दे ा के अनुसार भुद्ध वर्तमान मूल्य की रा ि Adhoc CAMPA में जमा करवा दी गई है। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) उद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनरा ि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

- 6<sup>प</sup> राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ०सी०ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापण पर लगाई गई रोक को आदे ि दिनांक 08.02.2023 द्वारा हटा

- दिया गया है परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि नेशनल पार्क तथा वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी वन भूमि पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
- 7<sup>प</sup> प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में 160 पेड़ों का पातन किया जाएगा। इस आदेश की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 8<sup>प</sup> ऑन लाईन वैबपोर्टल पर वृक्षों की सूची को सही कर लिया गया है।
- 9<sup>प</sup> एफ0आर0ए0 2006 की पूर्ण अनुपालना सम्बन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्धता upload कर ली गई है।
- 10<sup>प</sup> परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किये गए हैं।
- 11<sup>प</sup> प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी सम्भव होगा अधिक स्थानिय प्रजाति के वृक्षों को रोपित किया जाएगा। इस आदेश की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 12<sup>प</sup> संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्धता upload कर दी गई है।
- 13<sup>प</sup> प्रयोक्ता अभिकरण ने सूचित किया है कि इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
- 14<sup>प</sup> केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Lyaout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी बचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।
- 15<sup>प</sup> वन भूमि पर कोई भी श्रमिक निवास विरि स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी बचन बद्धता संलग्न है।
- 16<sup>प</sup> प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदूर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।
- 17<sup>प</sup> संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
- 18<sup>प</sup> परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निमार्ण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
- 19<sup>प</sup> वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा। जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 20<sup>प</sup> केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन बद्धता की प्रति संलग्न है।
- 21<sup>प</sup> इनमें से किसी भी भारत का उल्लंघन वन (संरक्षण), 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
- 22<sup>प</sup> पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित भातें लागू होगी। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्धता upload कर ली गई है।
- 23<sup>प</sup> इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्धता upload कर ली गई है।
- 24<sup>प</sup> यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि जो इस प्रस्ताव में लागू होते हो तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।
- 25<sup>प</sup> अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

नोडल आफिसर एवं प्र0 मुख्य  
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0